भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1916
सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)

राष्ट्रीय रोजगार नीति

1916. श्री भर्तृहरि महताबः
श्री पी.सी. मोहन
श्री मारगनी भरतः
श्री संजय काका पाटीलः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो इसकी निबंधन और शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(ख) क्या नई श्रम कल्याण संहिताओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना और कार्यान्वित किया जाना बाकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या कोविड वैश्विक महामारी के कारण विशेषकर अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या ई-श्रम पोर्टल पर आधार से जुड़े मोबाइल नंबरों के अनिवार्य उपयोग संबंधी अधिदेश के कारण पंजीकरण के दौरान श्रमिकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं तथा आज की तिथि तक पंजीकृत श्रमिकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर नामांकित होने के क्या लाभ हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वर्तमान में राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा बनाने हेतु कोई समिति नहीं है। देश में रोजगार एवं बेरोजगारी परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु, सरकार ने तीन सर्वेक्षण प्रारंभ किए हैं यथा **(i)** अखिल-भारतीय संस्थान आधारित त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस); **(ii)** प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण; तथा **(iii)** घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण। इन सर्वेक्षणों में संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्र शामिल होंगे।

(ख): सरकार ने 4 श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी संहिता, 2019 को दिनांक 8 अगस्त, 2019 को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 को दिनांक 29 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया है। इन संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समुचित सरकार को सौंपी गई है और सार्वजनिक परामर्श हेतु इन नियमों को उनके आधिकारिक राजपत्र में 30 या 45 दिनों की अवधि के लिए प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में, केंद्र सरकार ने आम जनता सहित सभी हितधारकों की टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियम प्रकाशित किए हैं: -

(i) मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020

(ii) औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2020

(iii) औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद की मान्यता और ट्रेड यूनियनों के विवादों का न्याय-निर्णयन नियम, 2021

(iv) सामाजिक सुरक्षा संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020

(v) सामाजिक सुरक्षा संहिता (कर्मकार प्रतिकर) (केंद्रीय) नियम, 2021; तथा

(vi) व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (केंद्रीय) नियम, 2020

(vii) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 की धारा 16(5) के तहत प्रारूप नियम

"श्रम" संविधान की समवर्ती सूची में आता है और श्रम संहिताओं के तहत, केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा भी नियम बनाए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार और कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 4 श्रम संहिताओं के तहत नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के लिए 73,000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का प्रावधान किया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम बजट (एलबी) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन से सहमति के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। मांग संचालित इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है

(ग):	मार्च, 2021 तक उपलब्ध शहरी क्षेत्रों के लिए त्रैमासिक पीएलएफएस रिपोर्ट का प्रयोग कर श्रम बाजार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर विश्लेषण करते हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में दर्शाया गया था कि कोविड-19 के प्रकोप से पूर्व, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) के संदर्भ में शहरी श्रम बाजार में सुधार के संकेत दिखाई दिए थे। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण, 2020-21 की पहली तिमाही में, शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर बढ़कर 20.8 प्रतिशत हो गई। 2020-21 की बाद की तिमाहियों में अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ, सभी तीन श्रम बाजार संकेतकों अर्थात एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर और यूआर में तेजी से सुधार हुआ। इस अवधि के दौरान यूआर धीरे-धीरे कम होकर 2020-21 की अंतिम तिमाही में शहरी क्षेत्रों के लिए **9.3** प्रतिशत तक पहुंच गई। वर्ष 2019-20 और 2020-21 (मार्च, 2021 तक) में शहरी क्षेत्रों के लिए एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर और यूआर का तिमाही अनुमान अनुबंध-। में दिया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

इसके अलावा, सरकार आत्मनिर्भर भारत वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में **60** लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता है। पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा होते हैं।

इसके अलावा, कोविड -19 महामारी से प्रभावित श्रमिकों/रोजगार चाहने वालों की समस्याओं को कम करने के लिए, सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए), अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना भी आरंभ की है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

(घ): ई-श्रम पोर्टल पर स्व-पंजीकरण के अलावा, श्रमिक आसानी से सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। 07.03.2022 तक 26.47 करोड़ असंगठित कामगारों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है। असंगठित कामगारों के राज्य-वार पंजीकरण का विवरण अनुबंध-**II** में दिया गया है।

(ङ): सभी पात्र पंजीकृत असंगठित कामगार प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से एक वर्ष के लिए 2.0 लाख रु. के निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर का लाभ पाने के हकदार हैं। ई-श्रम पर पंजीकृत कर्मचारियों को प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना और एनपीएस-व्यापारी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। ई-श्रम पोर्टल पर कामगारों के बैंक खातों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, यदि कोई हो, सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान करने के लिए जोड़ा जाता है।

*****

<u>अनुबंध-।</u>

लोक सभा के दिनांक 14.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1916 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) पर शहरी क्षेत्र के लिए श्रम बल संकेतक (आयु: **15** और ऊपर) (प्रतिशत में)

पीएलएफएस सर्वेक्षण	तिमाही	एलएफपीआर	डब्ल्यूपीआर	यूआर
2019-20	जुलाई-सितम्बर, 2019	47.3	43.4	8.3
	अक्तूबर-दिसंबर, 2019	47.8	44.1	7.8
	जनवरी-मार्च, 2020	48.1	43.7	9.1
	अप्रैल-जून, 2020	45.9	36.4	20.8
2020-21	जुलाई-सितम्बर, 2020	47.2	40.9	13.2
	अक्तूबर-दिसम्बर, 2020	47.3	42.4	10.3
	जनवरी-मार्च, 2021	47.5	43.1	9.3

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

(परिभाषाएं: एलएफपीआर को श्रम बल में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। श्रम बल में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो या तो काम कर रहे थे (नियोजित) या काम की तलाश में (बेरोजगार) हैं। डब्ल्यूपीआर को कुल आबादी में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। यूआर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है)

अनुबंध -II

लोक सभा के दिनांक 14.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1916 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों का राज्यवार पंजीकरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**07.03.2022** को कुल पंजीकरण
1	उत्तर प्रदेश	8,22,79,198
2	उड़ीसा	1,32,27,758
3	छत्तीसगढ	76,58,321
4	उत्तराखंड	29,01,201
5	पश्चिम बंगाल	2,52,86,203
6	हिमाचल प्रदेश	17,82,022
7	जम्मू और कश्मीर	31,25,481
8	झारखंड	88,42,708
9	बिहार	2,77,17,998
10	त्रिपुरा	8,09,345
11	असम	64,61,174
12	हरियाणा	51,14,527
13	पंजाब	53,16,746
14	मध्य प्रदेश	1,49,61,205
15	दिल्ली	31,49,483
16	केरल	57,58,600
17	चंडीगढ़	1,69,022
18	राजस्थान	1,15,04,821
19	पुदुचेरी	1,73,858
20	मणिपुर	3,75,314
21	गुजरात	77,41,921
22	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	71,121
23	नागालैंड	2,00,731
24	महाराष्ट्र	1,06,81,257
25	तमिलनाडु	67,38,532
26	तेलंगाना	31,51,146
27	कर्नाटक	53,29,985
28	आंध्र प्रदेश	37,84,900
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	26,870
30	लद्दाख	18,021
31	मेघालय	1,93,771
32	अरुणाचल प्रदेश	81,093
33	मिजोरम	28,818
34	सिक्किम	10,515
35	गोवा	21,868
36	लक्षद्वीप	739
	योग	**26,46,96,273**